

Emar
11.3.22

प्रेषक,

निदेशक,

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और

प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में,

प्राचार्य,

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,

1. फतेहपुर, 2. कानपुर नगर, 3. शाहजहांपुर, 4. ललितपुर 5. रामपुर 6. मुजफ्फर नगर
7. मिर्जापुर 8. हरदोई 9. बाराबंकी 10. जौनपुर 11. गाजियाबाद 12. बदायूँ
13. रायबरेली, 14. मैनपुरी 15. सीतापुर एवं 16. सहारनपुर।

पत्रांक: राशै/ डा०प्रको०/ 63174 /2021-22 दिनांक 11 मार्च, 2022

विषय:—केन्द्र पुरोनिधानित शिक्षक प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत द्वितीय चरण में स्थापित (16 जनपद) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में सृजित पदों के वर्ष 2022-23 के सततीकरण के संबंध में।

महादेय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-11/2022-आई-145888/2022/ फा०नं०-68-4099/399/2020-4, बेसिक शिक्षा अनुभाग-4, लखनऊ दिनांक 09.03.2022 (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित योजनान्तर्गत द्वितीय चरण (16 जनपद) में स्थापित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में सृजित पदों को वर्ष 2022-23 में चलते रहने की कार्योत्तर स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की गयी है। शासन के उक्त संदर्भित पत्र की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक उक्तवत

भवदीय

2-10 11.3.22
डा०(सर्वेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह)

निदेशक,

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।



I/145888/2022

File No. 68-4099/399/2020-4 ()-

684

ST-1117
9-3-22

संख्या- 11/2022-आई/145888/2022/फा0न0-68-4099/399/2020-4

प्रेषक,

धर्मेन्द्र मिश्र,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं,
प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक: 09 मार्च, 2022

विषय: केन्द्र पुरोनिधानित शिक्षक प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत द्वितीय चरण में स्थापित (16 जनपद) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में सृजित अस्थायी पदों के वर्ष 2022-23 के लिये सततीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-राशै0/52860/डा0प्र017(54)/2021-22 दिनांक 09.02.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल संलग्न तालिका में उल्लिखित कुल 768 अस्थायी संवर्गीय पदों को उनके समक्ष अंकित वेतनमानों में दिनांक 01.03.2022 से 28.02.2023 तक चलते रहने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त पदों के पद धारकों को शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार मंहगाई भता व अन्य भत्ते भी अनुमन्य होंगे। उक्त आदेश प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

3- उक्त पदों पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय व्यय के अनुदान संख्या-75 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2202-सामान्य शिक्षा-80-सामान्य-003-प्रशिक्षण-01-केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें-0101-जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (के.60/रा.40 के0+रा0) के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक: यथापरि।

भवदीय,

Signed by धर्मेन्द्र
मिश्र

Date: 08-03-2022 16:03:22

Reason: Approved

(धर्मेन्द्र मिश्र)

अनु सचिव।

-2/

-2-

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/लेखा परीक्षा, उ.प्र. इलाहाबाद।
2. निदेशक, माध्यमिक/बेसिक शिक्षा, उ०प्र० लखनऊ।
3. संबंधित जिलों के प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ०प्र०।
4. समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ०प्र०।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11, नियोजन अनुभाग-4/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
6. संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार (शिक्षा विभाग), शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
7. वरिष्ठ शोध अधिकारी, अनुश्रवण प्रकोष्ठ, बेसिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
8. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
(धर्मेन्द्र मिश्र)
अनु सचिव।

I/145888/2022

संख्या-III/2022-आई/145888/2022/फा0नं0-68-4099/399/2020-4 दिनांक: 09 मार्च 2022

2022 का संलग्नक

क्र.सं.	पदनाम	वेतन-बैण्ड	ग्रेड-पे	सृजित पदों की संख्या
1	प्राचार्य	15600-39100	6600	16
2	उप प्राचार्य	15600-39100	6600	16
3	वरिष्ठ प्रवक्ता	15600-39100	5400	96
4	प्रवक्ता	9300-34800	4800	272
5	सांख्यिकीकार	9300-34800	4600	16
6	कार्यानुभव शिक्षक	9300-34800	4600	16
7	तकनीकी सहायक	9300-34800	4600	16
8	कार्यालय अधीक्षक	9300-34800	4200	16
9	पुस्तकालयाध्यक्ष	9300-34800	4200	16
10	लेखाकार	5200-20200	4200	16
11	आशुलिपिक	5200-20200	2400	16
12	प्रयोगशाला सहायक	5200-20200	1900	32
13	कनिष्ठ सहायक	5200-20200	2000	144
14	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	5200-20200	1800	80
	योग			768

(धर्मेन्द्र मिश्र)

अनु सचिव।